पंजीकृत

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स न0 - 01364 - 233505::
पता - माई की मढी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 208 /12–1(2) दिनांक 21/7/2022

सेवा मे

वन संरक्षक,
गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौडी।

विषय :- जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.150 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/14124/2015**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 186 / 2015 / एफ.सी. / 262 दिनाक 24.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से वांछित 06 बिन्दुओं की सूचना अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–962 दिनांक 08.07.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार / बिन्दुवार) निम्न प्रकार प्रेषित है–

बिन्दु सं.	प्रश्न	उत्तर
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–01 के सापेक्ष में सी.ए. हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04.06.2021 का mutation प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि दिनांक 04.06.2021 का स्पष्ट mutation प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सख्या–01 के सापेक्ष में सी.ए. हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनाक 04.06.2021 का स्पष्ट mutation प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	राज्य सरकार से अनुरोध है कि खतौनी की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	खतौनी की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
3	राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रुप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रुप में अधिसूचित किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)** (सन् 1893 के राजपत्र के अनुसार एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के क्रम में उक्त प्रमाण पत्र का परीक्षण अपने स्तर से भी करना चाहें)
4	राज्य सरकार द्वारा एन0पी0वी0 पुरानी दरों के अधार पर धनराशि रु0 20,69,550/– जमा की गई है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नई दरों / वर्तमान दरों के आधार पर एन0पी0वी0 की शेष बची धनराशि को कैम्पा कोष में जमा करने का कष्ट करें।	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–962 दिनांक 08.07.2022 में अंकित बिन्दु संख्या–04 में लिखा है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–732/X-3-22/05(03)/2019 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा 05 वर्षों से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों में विधिवत् स्वीकृति हेतु 45 दिवसों का अतिरिक्त समय दिया गया है। (संलग्नक–4)

क्रमश :–2 पर

5	राज्य सरकार धनराशि रु0 14,50,903 / – हेतु संशोधित सी0ए0 स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	धनराशि रु0 14,50,903 / – हेतु संशोधित सी0ए0 स्कीम संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–5)**
6	राज्य सरकार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.04.2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0–2 के सापेक्ष में 6.30 है0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 में इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	6.30 है0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 में संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–6)**

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।
(प्रमाण पत्र मूल सहित तीन कलर प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांक:-962/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/व0भू0 दिनांक 08/07/2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
वन प्रभाग रूद्रप्रयाग,
जनपद रूद्रप्रयाग।

विषयः- जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **3.15 है0** वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक- 08बी/यू0सी0पी0/06/186/2015/एफ0सी0/262 दिनांक 24-05-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर Online Proposal No-FP/UK/ROAD/14124/2015 प्रस्ताव पर 3.15 है0 वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु उल्लेखित शर्तो की अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी। जिसे आपत्तियों में लौटाया गया है। अतः आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार अभिलेख/दस्तावेज अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 1 के सापेक्ष में सी0ए0 हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04-06-2021 का स्पष्ट Mutation प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. खतौनी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न है।
3. अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 732/X-3-22/05(03) 2019 दिनांक 24-06-2022 के द्वारा 05 वर्षो से अधिक समय से लम्बित विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरणों को 45 दिवसों का अतिरिक्त समय दिया गया है।
5. अनुपालन वन विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. दिनांक 18-04-2017 के उल्लेखित बिन्दु सं0 2 के सापेक्ष में 6.30 है0 सी0ए0 क्षेत्र हेतु संशोधित के0एम0एल0 फाईल सी0डी0 में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्राप्त 8/7/2022

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक:- 904 /पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/व0भू0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग

संलग्नक -1 (13)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के पत्रांक- 261/पी0एम0जी0एस0वाई0(सिं0खं0)रूद्रप्रयाग/वन भूमि दिनांक 18-02-2021 के अनुसार भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उ0मध्य क्षेत्र), देहरादून के द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जाबरी-जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पूर्व में उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या- 7153/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2015-16) दिनांक 16-08-2016 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 11 के खसरा संख्या- 949 रकवा 2.105 है0, खसरा संख्या- 959 रकवा 0.395 है0 भूमि तथा ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 10 के खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 एवं खसरा संख्या- 1909 रकवा 0.840 है0 मध्ये 0.200 है0 अर्थात कुल रकवा 6.300 है0 चयनित भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा अमलदरामद हेतु पूर्व में जारी आदेश में खसरा संख्या- 989 के स्थान पर त्रुटिवश खसरा संख्या- 1909 अंकित होने के कारण पूर्व में जारी आदेश को निरस्त करने तथा खसरा 989 में अमलदरामद करवाये जाने का अनुरोध किया गया है।

पुनः उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ ने तहसीलदार ऊखीमठ के पत्रांक- 1477/र0का0-क्षति0वृक्षारोपण/2020-21 दिनांक 25-03-2021 (पताका- 'द') को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि ग्राम जयकण्डी के खसरा नं0- 949 रकवा 2.105 है0 मध्ये 2.005 है0, 959 रकवा 0.395 है0, खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 खसरा संख्या- 989 रकवा 0.300 है0 कुल रकवा 6.300 है0 भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गई है।

अतः पूर्व में जारी आदेश संख्या- 7153/छब्बीस-एल0ए0सी0 (2015-16) दिनांक 16-08-2016 को **निरस्त करते** हुये शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, ऊखीमठ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र गणेशनगर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम जयकण्डी के खसरा नं0- 949 रकवा 2.105 है0 मध्ये 2.005 है0, 959 रकवा 0.395 है0, खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 खसरा संख्या- 989 रकवा 0.300 है0 कुल रकवा 6.300 है0 चयनित भूमि को उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/ नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-04-06-2021

ह0/-
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

संख्या– 4084/छब्बीस-20/2020–21/ दिनांकः रूद्रप्रयागः जून, 05 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– सचिव राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।

6– उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार ऊखीमठ को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल वन विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

8– अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं0खं0), रूद्रप्रयाग।

अपर, जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

संलग्नक -2

प्रेषक,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रूद्रप्रयाग।

द्वारा:-- उप जिलाधिकारी, ऊखीमठ।

संख्या-- 102/र0का0-क्षति0वृ0/(2020-21) दिनांकः ऊखीमठ, जून 22, 2021

विषयः-- **तहसील ऊखीमठ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी-जयकण्डी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.150है0 भूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.300है0 भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन (Mutation)/नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कृपया आपके कार्यालय आदेश संख्या-4084/छब्बीस-20/2020-21/दिनांकः जून 05, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अनुसार, तहसील ऊखीमठ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी-जयकण्डी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.150है0 भूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्रफल के अमलदरामद सम्बन्धी आपके कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या-71532छब्बीस-एल0ए0सी0 (2015-16) दिनांक 16-08-2016 को निरस्त किया गया है तथा उक्त योजना के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि, राजस्व ग्राम जयकण्डी के खसरा नम्बर--949 रक्वा 2.105है0 मध्ये 2.005है0, खसरा नम्बर-959 रक्वा 0.395है0, खसरा नम्बर-1907 रक्वा 3.600है0, खसरा संख्या-989 रक्वा 0.300है0 अर्थात कुल रक्वा 6.300है0 चयनित भूमि को, उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग, वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित एवं अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध में राजस्व उप निरीक्षक गणेशनगर को खतौनी में अमलदरामद किये जाने हेतु, निर्देशित किया गया। रा0उ0नि0 गणेशनगर द्वारा, उक्त आदेश को, ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी में खसरा संख्या-949, 959, 1907 व 989 के सम्मुख अमलदरामद कर, खतौनी नकल उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित।

संलग्न--यथोपरि।

जिलाधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग
तहसीलदार ऊखीमठ की जांच आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
ऊखीमठ।

भवदीय,

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

प्रतिलिपिः-- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (सिं0ख0) रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

तहसीलदार,
ऊखीमठ।

संलग्नक -(2)

कार्यालय जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग।

संख्या- 266 / 26-20(2020-21) दिनांक रूद्रप्रयाग ~~फरवरी~~ मार्च, 04 2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जाबरी-जयकण्डी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.150 है0 भूमि के सापेक्ष, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 6.300 है0 भूमि का वन विभाग के नाम म्यूटेशन/नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश 4084/छब्बीस-20/2020-21 दिनांक 05 जून, 2021 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 11 के खसरा नं0- 949 रक्वा 2.105 हे0, खसरा संख्या- 959 रकवा 0.395 हे0 तथा ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 10 के खसरा संख्या- 1907 रकवा 3.600 है0 खसरा संख्या- 989 रकवा0.200 है0 कुल रकवा 6.300 हे0 चयनित/प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के क्रम में उप जिलाधिकारी ऊखीमठ द्वारा तहसीलदार ऊखीमठ के पत्र संख्या- 102/र0का0-क्षति0वृ0/ (2020-21) दिनांक 22 जून, 2021 के क्रम में अवगत कराया गया है कि रा0उ0नि0 गणेशनगर द्वारा ग्राम जयकण्डी की ज0वि0र0 खतौनी में खसरा संख्या- 949, 959, 1907 एवं 989 में दर्ज एवं अमलदरामद किया गया है।

अतएव उक्त ज0वि0र0 खतौनी की नकल की ~~छायाप्रति~~ मूलप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी (सं0कार्या0),
कृते-जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अधि.अभि., पी.एम.जी.एस.वाई.(सिं.खं.), रूद्रप्रयाग।

2- उप जिलाधिकारी ऊखीमठ।

प्रभारी अधिकारी (सं0कार्या0),
कृते-जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

वन भूमि हस्तान्तरण
प्रा0 का0 का0

ह0
5-3-2022

नकल P-2A खतौनी ग्राम अमकोटी [illegible] तहसील [illegible] जनपद रुद्रप्रयाग

क्र.सं.	खेवट खाता सं०	खतौनी की खाता संख्या	खातेदार/काश्तकार का नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त	खसरा नम्बर	[illegible]	लगान	गैर कब्जा शामिल	रकबा	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	68 [illegible] श्रेणी 10(4) आरक्षित भूमि	68	[illegible]	95	~~[illegible] मोटर मार्ग निर्माण में 0.150 भूमि के [illegible] ग्राम अमकोटी में [illegible] हस्तान्तरण/अमलदरामद [illegible] जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय के पत्र आदेश सं० 785/ [illegible] (2015-16) दिनांक 1[illegible]-8-2016 को [illegible] जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग कार्यालय से निर्गत आदेश संख्या-4024/ [illegible]-20/2020-21 दिनांक जून 05, 2021 के अनुपालन क्रम में [illegible] ग्राम अमकोटी [illegible] 919 रकबा 2.105 हे० में से 2.005 हे० खसरा संख्या 959 रकबा 0.325 हे० खसरा सं० 907 रकबा 3.600 हे० में से खसरा संख्या 989 रकबा 0.300 हे० कुल रकबा 0.300 हे० [illegible] भूमि को [illegible] रुद्रप्रयाग के नाम [illegible] नामान्तरण एवं अमलदरामद करने की [illegible] किया~~					
			1	95						

ह० [illegible]
लेखपाल
21-6-2021

आदेश से तैयार किया

ह० [illegible] /6/2021
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र [illegible]
तहसील [illegible]
जनपद रुद्रप्रयाग

ह० [illegible]
THR (W)

नकल खतौनी ग्राम जमकण्डी पट्टी [illegible] तहसील [illegible] जनपद रुद्रप्रयाग

क्रम	खाता संख्या	नाम व निवास स्थान	मुद्दत काश्त	खाता खसरा नम्बर	क्षेत्रफल नाली मुट्ठी	नाम ताल	गौ संख्या	नाम तोक	[illegible]	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8		16	
25	45	श्री 9 (ख) 2 काण्डिया		9866	950	घोरखली				
				9869	62	भिराला				
				2	222					

माननीय [illegible] में 3.15 हे० भूमि के सापेक्ष ग्राम जमकण्डी की अतिरिक्त वृक्षारोपण की भूमि हस्तान्तरण अन्तर्गत महा सावन [illegible] जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के कार्यालय के पत्र आदेश संख्या - 753 द्वबीज ए० एफ० सी० (2015-16) दिनांक 16-8-2016 को निरस्त करते हुए वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग कार्यालय से निर्गत आदेश संख्या - 1084 द्वबीस - 20/2020-21 दिनांक 05 [illegible] 2021 के अनुपालन क्रम में उपरोक्त योजना में ग्राम जमकण्डी के खसरा संख्या 949 रकबा 2.105 हेक्टेयर (अर्थात 2.005 हेक्टेयर) खसरा संख्या - 959 रकबा 0.395 हे० खसरा संख्या 1907 रकबा 3.600 हेक्टेयर खसरा सं० 989 रकबा 0.300 हेक्टेयर कुल रकबा 6.300 हेक्टेयर (चयनित भूमि को रूप का सरक्षित [illegible] रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम [illegible] बिना [illegible] हेतु [illegible] पर [illegible] करने की स्वीकृति [illegible]

राजस्व ग्राम [illegible]
21/6/2021

असल से तैयार किया

THRIJ

जनपद उप निरीक्षक 21/6/2021
क्षेत्र [illegible]
तहसील [illegible]
जनपद-रुद्रप्रयाग

नकल शुद्ध खतौनी ग्राम जामकड़ी वर्ष 1409 निर्माण तहसील [illegible] पटवारी हल्का [illegible]

खेवट खाता क्र.	खतौनी खाता संख्या	खातेदार व काबिज का नाम व पिता/पति का नाम व निवास स्थान	हल्का खसरा संख्या	हल्का खसरा रकबा	स्थान ताल	मौरूसी काश्त मालकियत			रकमी	अधिकार
1	2	2	3	4	5	6	7 से			10 तक
60	60	कृषियोग्य बंजर भूमि 1(3)ऽ।	१	३२॥	धार					
			१०	३	धार					
			—	—	—					
			—	—	—					
			१२५	१	सिरवाली					
			२५८	११	सिरवाली					
			२५८	१२५	धार					
			—	—	—					
			—	—	—					
			—	—	—					
			~~५४८~~	२०४।	पडूला					
			५५८	६॥।	पडूला					
			—	—	—					
			—	—	—					
			१३५८	३५	कण्डवाड़					
			१८८१	११	कण्डवाड़					
			—	—	—					
			—	—	—					
			१५८८	२३	गौड़ा					
			१८८२	४८।=	कण्डारा					
			—	—	—					
			—	—	—					
			२०४	३६	डमरा					
			१८०५	१०१-	धारखोला					
			१८०२	८॥=	धारखोला					
			३१	५८४।=						

मुताबिक आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के आदेश सं० 4085 [illegible] 19/2020-21 दिनांक 25.5.2021 के अनुपालन क्रम में जामकड़ी-जयकण्डी (ग्रामसभा [illegible]) सड़क मार्ग निर्माण में (1.50 हैक्टे0) भूमि के सापेक्ष ग्राम जामकड़ी की आ0 वि0 खतौनी खाता संख्या-60 के खसरा संख्या-278 रकबा 2.500 है0 तथा खसरा सं० 1369 रकबा 0.700 है0 में से 0.412 है0 अर्थात कुल रकबा 0.912 है0 [illegible] श्रेणी (1)3ऽ के आरक्षित की व्यवस्थित भूमि के उपवन [illegible] के नाम [illegible] हस्तान्तरित/नामान्तरित कर [illegible] की [illegible] अमलदरामद किया।

जयकण्डी मोटर मार्ग निर्माण में 3.15 है0 भूमि के सापेक्ष ग्राम जामकड़ी [illegible] अमलदरामद [illegible] के आदेश 7153 [illegible] 2015-16 दिनांक 16-8-2016 को [illegible] जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग कार्यालय के [illegible] आदेश सं० 408 [illegible] 20/2020-21 दिनांक [illegible] 2021 के अनुपालन क्रम में [illegible] जामकड़ी की खसरा सं० 119 रकबा 2.105 है0 में 2.000 है0 खसरा सं० [illegible] रकबा 0.312 है0 खसरा सं० 190 रकबा 3.600 है0 [illegible] 0.400 है0 कुल रकबा 3.300 है0 भूमि को [illegible] वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग [illegible] के नाम [illegible] हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद किया।

नकल खतौनी असल से तैयार की गई

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र [illegible]
तहसील [illegible]

संलग्नक -③

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु **ग्राम–जयकण्डी (श्रेणी–10(4) अकृषित भूमि) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–68 के खसरा संख्या–989, रकवा–0.300 है0, (श्रेणी–कृषि योग्य बंजर श्रेणी 9(3)ड) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–11 के खसरा संख्या–949, रकवा–2.105 है0 मध्ये 2.005 है0, खसरा संख्या–959, रकवा–0.395 है0, (श्रेणी–9 (ख)2 झाड़िया) की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–10 के खसरा संख्या–1907, रकवा–3.60 है0 कुल भूमि 6.30 है0 सिविल वन भूमि** क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना संख्या–869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या–1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष मे कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नही है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक– / दिनांकित पौड़ी 2022

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. संबंधित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

File No.8-46/2012-FC

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110 03
Dated: 23rd June, 2022

The Principal Secretary (Forests)/Addl. Chief Secretary (Forests),
All State Governments/UT Administrations,

Sub: Revocation of In-principal approvals/ Stage-I Clearances issued by this Ministry, which are pending due to non-compliance of conditions for more than 5 years as provided under para 8 (2) (a) of Forest (Conservation) Rule, 2003-Reg.

Madam/Sir,

I am directed to invite your kind attention on Para 8 (2) (a) of Forest (Conservation) Rules 2003 amended on 14.03.2014 and 10.10.2014 which states that :-

8 (2) (a) In cases where compliance of conditions in the in-principle approval is awaited for more than five years from the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, the in-principle approval may be summarily revoked:

Provided that in cases where for valid and cogent reasons it has not been possible for the User Agency or the State Government or the Union Territory Administration, as the case may be, to comply with one or more of the conditions stipulated in the in-principle approval for obtaining final approval, the Central Government may extend the period for compliance of such conditions by further period as it deems fit.

2. It has been observed that there are around 2481 cases pending where Stage-I has been given prior to 01.03.2017 and Stage-II approval is pending due to the non-receipt of compliance of Stage-I approvals. The list of such cases are enclosed for your ready reference.

3. In view of facts, the State Governments/UT Administrations are requested to apprise this Ministry whether they are interested to continue these projects or not, if interested, it is requested to submit the compliance report of the above mentioned projects (i.e.2481 cases) within 45 days from the issue of this letter. If the response of the State governments in this regard is not received to the Ministry within the stipulated time, these process of summary revocation of the proposals granted Stage-I as referred above may be initiated as per referred Rules.

This letter is issued with the approval of the competent authority.

Enclosed: As Above

Yours faithfully,

(Rinku Kumari)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All State Governments/UT

संलग्नक - 5

परियोजना का नामः– जनपद–रूद्रप्रयाग मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है० वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्राक्कलन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दस वर्षीय (एस० एस० पी०)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम –		जयकण्डी सिविल		
क्षेत्रफल		6.300	है०	वर्ष 2016–17
क्र.सं.	रोपित प्रजातियां	संख्या		
1	कचनार	3500		
2	सुरई	2600		
3	अगू	3500		
4	अखरोट	3000		
योग		12600		
रोपित कुल पौध		12600		

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	6.3000	है०	115.00	724.50
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाडी कटान आदि कार्य)	6.3000	है०	3730.00	23499.00
3	अग्रिम दीवालवन्दी कार्य (फेन्सिंग) कार्य स्थान–स्थान पर आवश्यकतानुसार 800र०मी० / है०	6.3000	है०	38637.00	243413.10
4	गड्ढो का खुदान 0.30x0x30x0.45cum	6930	प्र०ग०	7.95	55093.50
5	निरीक्षण बटिया का निमाण करना स्थान – स्थान पर (प्रति है० 500र०मी० लम्बी व 0.60 मी० चा	1890.00	वर्ग मी०	18.00	34020.00
6	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष उगाने का	6930	प्र० स०	6.20	42966.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र सयंन्त्र औजार तैज करना	6.3000	है०	915.00	5764.50
8	अन्य कार्य (जल संग्रहण एवं भूमि संरक्षण कार्या हेतु धनराशि का प्राविधान)	6.3000	है०	9150.00	57645.00
	प्रथम चरण का योग				463125.60

द्वितीय चरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)Cum	6930	स०	1.42	9840.60
2	पौधो की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6930	सं०	1.80	12474.00
3	पौध ढुलान कार्य	6930	स०	9.00	62370.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	6930	स०	2.77	19196.10
5	निराई गुडाई करना प्रथम बार	6930	स०	1.89	13097.70
6	निराई गुडाई करना मय मलचिग कार्य द्वितीय बार	6930	स०	1.63	11295.90
7	खाद व दवा पर व्यय	6.3000	है०	1200.00	7560.00
8	प्रथम वर्ष म वृक्षारोपण की देख रेख व रखरखाव पर व्यय (1 वाचर 7 माह)	6.3000	प्र०है० / माह	685	30208.50
9	8.1 बृक्षारोपण क्षेत्रो के अर्न्तगत सूखीघास फूँस एव ज्वलनषील पदार्थो को हटाना प्रति है। झाडी कटान (लैन्टना गाजर धास / काला बासा)	6.3000	प्रति है०	1887	11888.10
10	अन्य व्यय साईन बौर्ड पौध ढुलान हैतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय, बृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हैतु पौलीथीन सीट कय करना व वर्ष में दो तीन बार फोटो ग्राफी फिल्ड स्थरीय कार्यों को प्रचार प्रसार एव डेक्यूमेटेशन आदि कार्य ।	6.300	है०	1000.00	6300.00
	कुल योग द्वितीय चरण				184230.90

	तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति				
1	वनीकरण चौकदार 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	2.1 बृक्षारोपण क्षेत्रो के अर्न्तगत सूखीघास फूँस एव ज्वलनपील पदार्थो को हटाना प्रति है। झाडी कटान (लैन्टना गाजर घास/कालाबांसा)	6.3000	है0	1887	5197.50
	2.3 बृक्षारोपण से लाभावित होने वाले ग्रामिणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हैतु प्रक्षिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हैतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोतसाहन देना ।	6.3000	L.S	1000.00	6300.00
	ब– प्रौत्साहन	6.3000	L.S	500.00	3150.00
3	पौधेा की लागत कुल रोपण का 10 प्रतिशत	693	स0 /पौध	8.00	5544.00
4	पुनः गडढा खोदना एंवं रोपण करना	693	%	484.00	3354.12
5	पौधों का ढुलान कार्य करना	693	%	990.00	6860.70
6	शीतकाल में मलचिग सहित कार्य	693	%	1793.00	12425.49
	तृतीय चरण का योग				**94617.81**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	चतुर्थ चरण का योग :–				**63674.10**
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	पंचम चरण का योग :–				**63674.10**
	छठवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	छठवें चरण का योग :–				**63674.10**
	सातवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	सातवें चरण का योग :–				**63674.10**
	अठवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	आठवें चरण का योग :–				**63674.10**
	नवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	नवें चरण का योग :–				**63674.10**
	दशवां चरण				
1	रोपण वर्षे के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	6.3000	है0	685.00	51786.00
2	अन्य कार्य (अग्नि संम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	6.3000	है0	1887.00	11888.10
	दशवें चरण का योग :–				**63674.10**

5–कुल व्यय सारास प्रति है0 व कुल व्यय

क्र.सं.	वर्ष का नाम	प्रति है0 व्यय		
1	प्रथम वर्ष	463125.60		
2	द्वितीय वर्ष	184230.90		
3	तृतीय वर्ष	94617.81		
4	चतुर्थ वर्ष	63674.10		
5	पचम वर्ष	63674.10		
6	छठवे वर्ष	63674.10		
7	सातवां वर्ष	63674.10		
8	आठवां वर्ष	63674.10		
9	नवम् वर्ष	63674.10		
10	दशम वर्ष	63674.10		
	कुल व्यय रुपये	**1187693.01**		
	मृदा एवं जल सरंक्षण कार्य	**263209.59**		
	कुल योग	**1450902.60**		
	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–596/3–5–2 दिनांक 19.08.2015 के अनुसार वसूली वर्ष 2016–17 हेतु देय दर/ 230302.00 रू0/है0	**6.300**	**Hac**	**1450902.60**
	या	**1450903.00**		

वन क्षेत्राधिकारी
अगस्त्यमुनि

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

संलग्नक - 6

जावरी से जयकण्डी

(KML MAP)